GOVERNMENT DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE SCIENCE & COMMERCE COLLEGE
Sector-H, Rajharsh Colony, Kolar, Bhopal (M.P.)- 462042
Affiliated By Barkatullah University Bhopal
Contact No: - 0755-2551837, Email-ID: - hegbsccbho@mp.gov.in
Website: - http://gscbhopal.in

Institutional Strategic/ perspective/development plan

The one of the main objectives of the institution is to achieve excellence in Research, in this perspective a central instrumentation lab is established having AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) and UV Spectrophotometer along with other useful instruments.

Institute had infrastructural support from DST-FIST; e-learning room is equipped from DST-FIST grant. Institute also is beneficiary of RUSA (component-9). Institute also got financial & infrastructural support from World Bank Quality Improvement Project of Government of M.P. Higher Education.

Higher Education in Madhya Pradesh is functioning administratively with secretariat and Ministry at Bhopal. Commissioner higher education is the supreme functional authority at secretariat and issues orders directly to colleges in M.P. Additional Directors are responsible for colleges of the specific division.

Institute to implement different schemes with quality initiatives as per norms. Permanent faculties and staff is appointment through under MPPSC. Guest Faculty against vacant posts for conventional subjects is also invited through the online mechanism chalked out by the Department of Higher Education, M.P.

Guest Faculty for self-finance courses under various programmes is invited by secretary Janbhagidari.

Principal is the head of the institution with drawing & disbursing financial powers. Principal appoints the Convenors of the many committees to help him in the administrative work related with general administration, academics, quality issues & student's welfare issues.

Convenors of the various committees report to the Principal whereas committee members report to the corresponding convenor. All the committees have fair participation of students, student voice are fully respected & heard.

Head Clerk of the college looks into the establishment related affairs of the colleges, LDC & Accountants help in keeping the accounts & financial records in order in the office. Regular financial audits are executed in the college by internal financial committee, external appointed CA & by the Accountant General of M.P. state also. AGMP raises financial explanations as per the process these queries have to be answered if any within the stipulated time.

All the procurement is as per MP General financial Rules 2015. College has a purchase committee to look into procurement related processes.

Principal
Govt. Dr. Shyama Prasad
Mukherjee Science & Commerce
P.G. College BHOPAL (M.P.)

ORGANOGRAM OF INSTITUTE

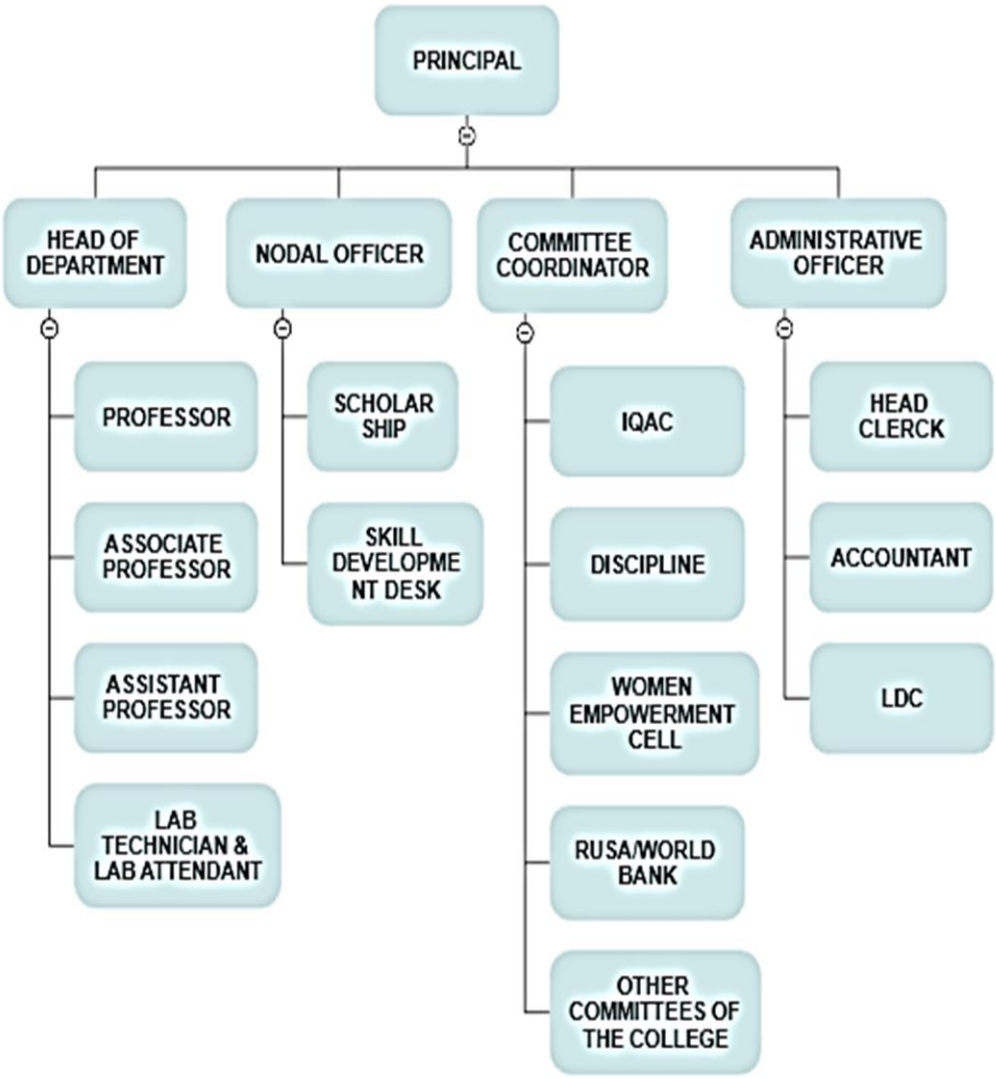

MIS

(Management Information System)

Institute conduct Different Academic and Administrative work with the help of Different MIS system

Administrative MIS

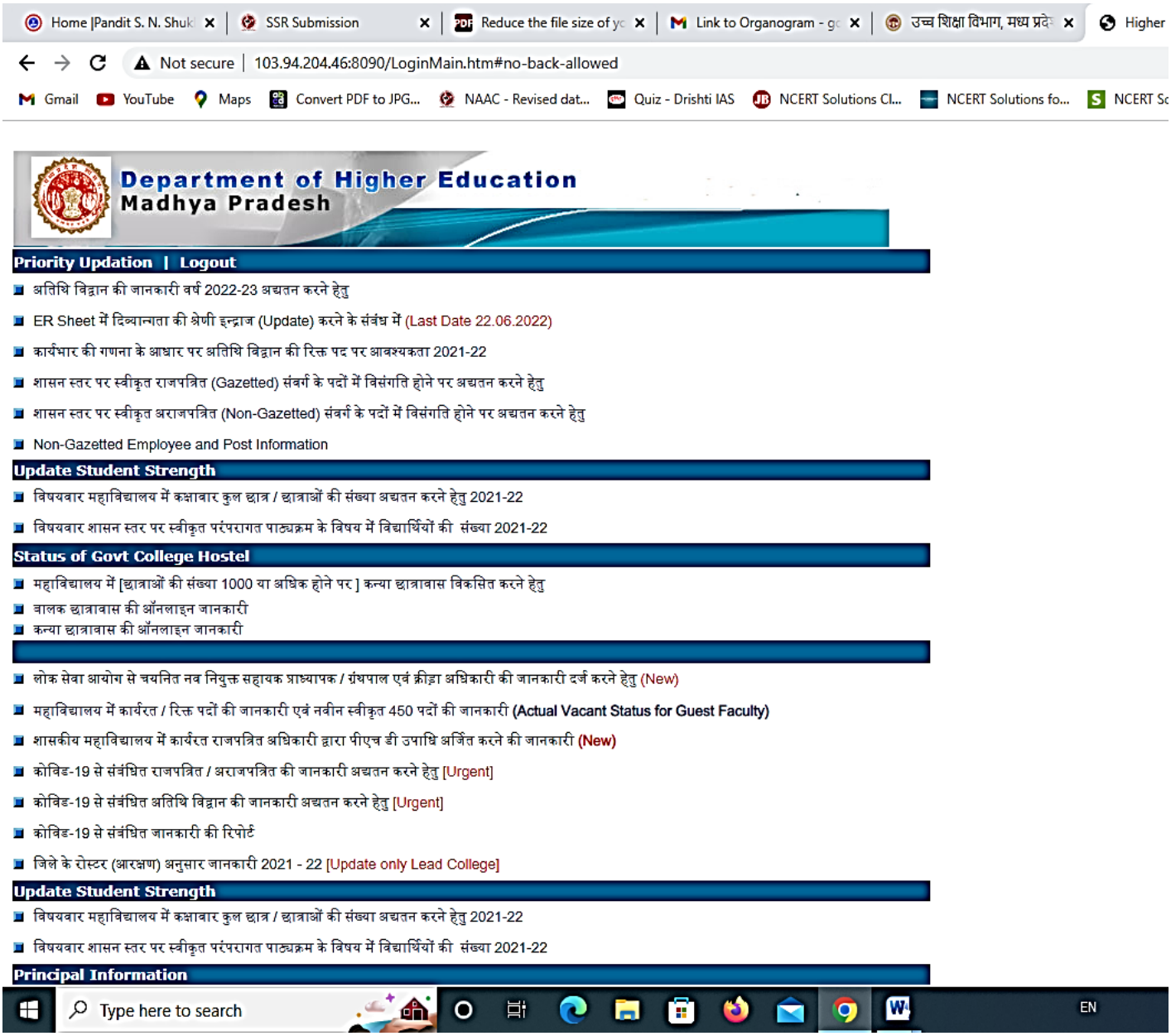

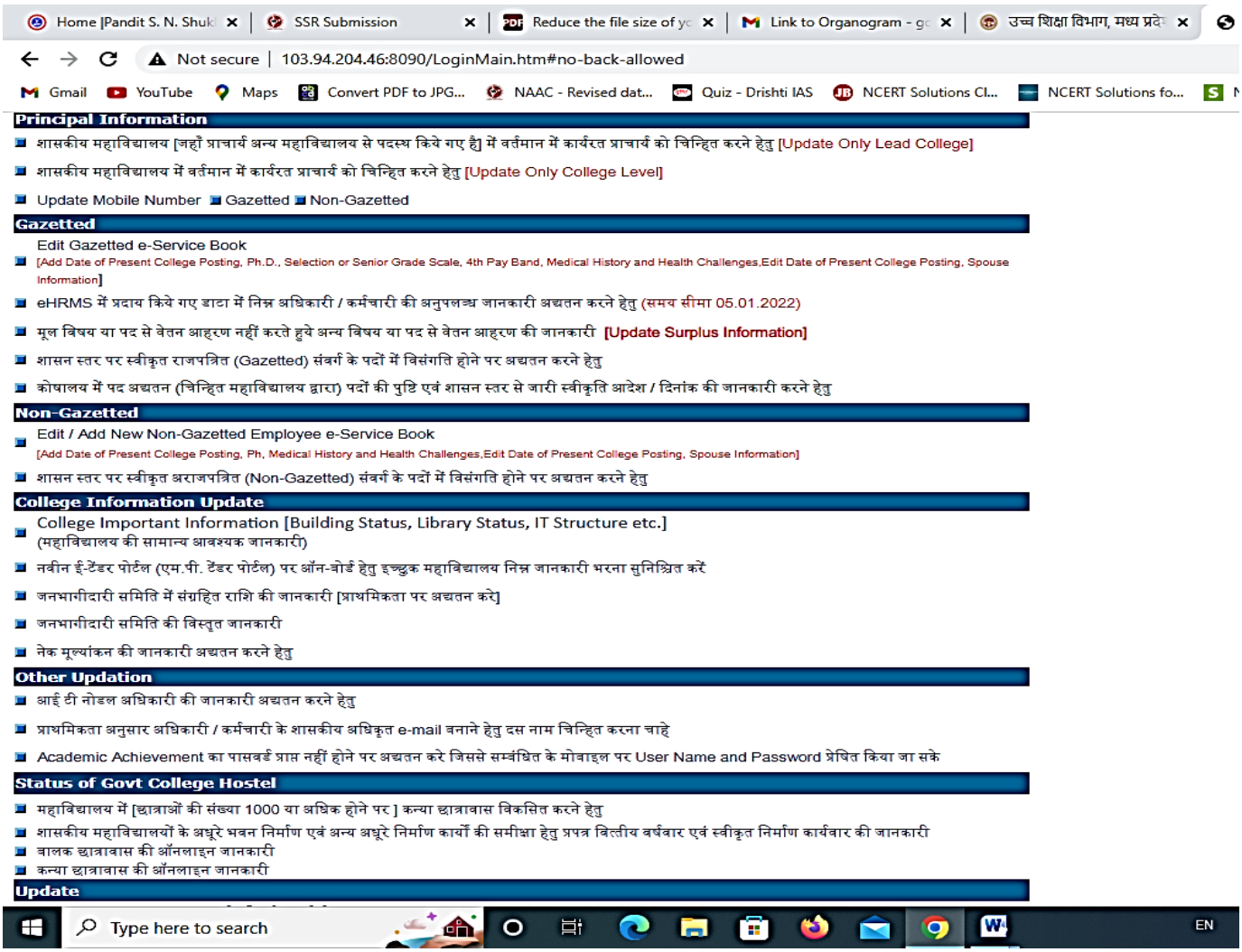
Home |Pandit S. N. Shuk
SSR Submission
Reduce the file size of yc
Link to Organogram - gc
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदे
Not secure | 103.94.204.46:8090/LoginMain.htm#no-back-allowed
Gmail
YouTube
Maps
Convert PDF to JPG...
NAAC - Revised dat...
Quiz - Drishti IAS
NCERT Solutions Cl...
NCERT Solutions fo...
Principal Information
शासकीय महाविद्यालय [जहाँ प्राचार्य अन्य महाविद्यालय से पदस्थ किये गए है] में वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य को चिन्हित करने हेतु [Update Only Lead College]
शासकीय महाविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य को चिन्हित करने हेतु [Update Only College Level]
Update Mobile Number Gazetted Non-Gazetted
Gazetted
Edit Gazetted e-Service Book
[Add Date of Present College Posting, Ph.D., Selection or Senior Grade Scale, 4th Pay Band, Medical History and Health Challenges,Edit Date of Present College Posting, Spouse Information]
eHRMS में प्रदाय किये गए डाटा में निम्न अधिकारी / कर्मचारी की अनुपलब्ध जानकारी अद्यतन करने हेतु (समय सीमा 05.01.2022)
मूल विषय या पद से वेतन आहरण नहीं करते हुये अन्य विषय या पद से वेतन आहरण की जानकारी [Update Surplus Information]
शासन स्तर पर स्वीकृत राजपत्रित (Gazetted) संवर्ग के पदों में विसंगति होने पर अद्यतन करने हेतु
कोषालय में पद अद्यतन (चिन्हित महाविद्यालय द्वारा) पदों की पुष्टि एवं शासन स्तर से जारी स्वीकृति आदेश / दिनांक की जानकारी करने हेतु
Non-Gazetted
Edit / Add New Non-Gazetted Employee e-Service Book
[Add Date of Present College Posting, Ph, Medical History and Health Challenges,Edit Date of Present College Posting, Spouse Information]
शासन स्तर पर स्वीकृत अराजपत्रित (Non-Gazetted) संवर्ग के पदों में विसंगति होने पर अद्यतन करने हेतु
College Information Update
College Important Information [Building Status, Library Status, IT Structure etc.]
(महाविद्यालय की सामान्य आवश्यक जानकारी)
नवीन ई-टेंडर पोर्टल (एम.पी. टेंडर पोर्टल) पर ऑन-बोर्ड हेतु इच्छुक महाविद्यालय निम्न जानकारी भरना सुनिश्चित करें
जनभागीदारी समिति में संग्रहित राशि की जानकारी [प्राथमिकता पर अद्यतन करे]
जनभागीदारी समिति की विस्तृत जानकारी
नेक मूल्यांकन की जानकारी अद्यतन करने हेतु
Other Updation
आई टी नोडल अधिकारी की जानकारी अद्यतन करने हेतु
प्राथमिकता अनुसार अधिकारी / कर्मचारी के शासकीय अधिकृत e-mail बनाने हेतु दस नाम चिन्हित करना चाहे
Academic Achievement का पासवर्ड प्राप्त नहीं होने पर अद्यतन करे जिससे सम्बंधित के मोबाइल पर User Name and Password प्रेषित किया जा सके
Status of Govt College Hostel
महाविद्यालय में [छात्राओं की संख्या 1000 या अधिक होने पर] कन्या छात्रावास विकसित करने हेतु
शासकीय महाविद्यालयों के अधूरे भवन निर्माण एवं अन्य अधूरे निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु प्रपत्र वित्तीय वर्षवार एवं स्वीकृत निर्माण कार्यवार की जानकारी
बालक छात्रावास की ऑनलाइन जानकारी
कन्या छात्रावास की ऑनलाइन जानकारी
Update
Type here to search
EN

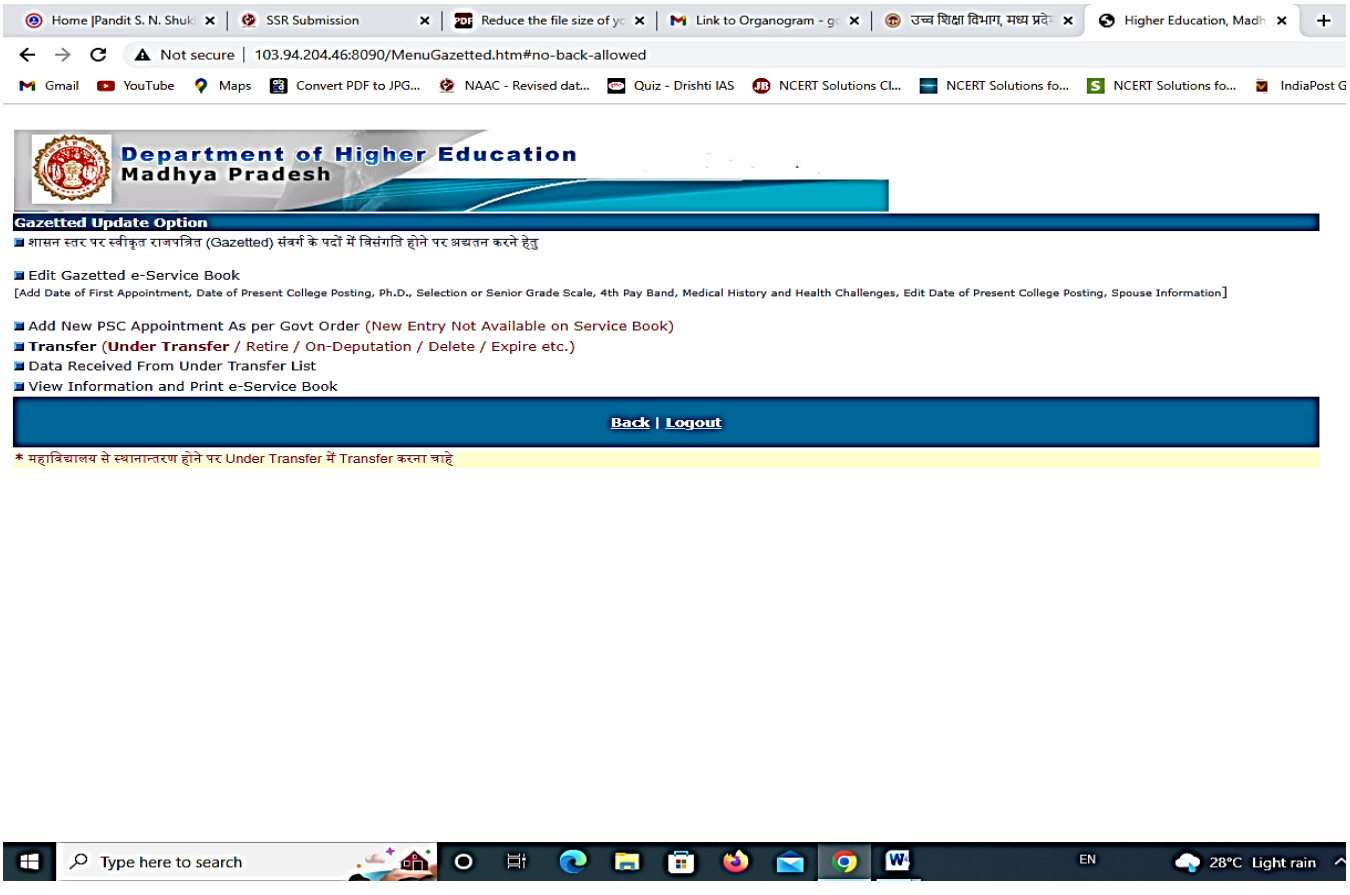
Home |Pandit S. N. Shuk
SSR Submission
Reduce the file size of yc
Link to Organogram - gc
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदे
Higher Education, Madh
Not secure | 103.94.204.46:8090/MenuGazetted.htm#no-back-allowed
Gmail
YouTube
Maps
Convert PDF to JPG...
NAAC - Revised dat...
Quiz - Drishti IAS
NCERT Solutions Cl...
NCERT Solutions fo...
NCERT Solutions fo...
IndiaPost G
Department of Higher Education
Madhya Pradesh
Gazetted Update Option
शासन स्तर पर स्वीकृत राजपत्रित (Gazetted) संवर्ग के पदों में विसंगति होने पर अद्यतन करने हेतु
Edit Gazetted e-Service Book
[Add Date of First Appointment, Date of Present College Posting, Ph.D., Selection or Senior Grade Scale, 4th Pay Band, Medical History and Health Challenges, Edit Date of Present College Posting, Spouse Information]
Add New PSC Appointment As per Govt Order (New Entry Not Available on Service Book)
Transfer (Under Transfer / Retire / On-Deputation / Delete / Expire etc.)
Data Received From Under Transfer List
View Information and Print e-Service Book
Back | Logout
* महाविद्यालय से स्थानान्तरण होने पर Under Transfer में Transfer करना चाहे
Type here to search
EN
28°C Light rain

Academic MIS

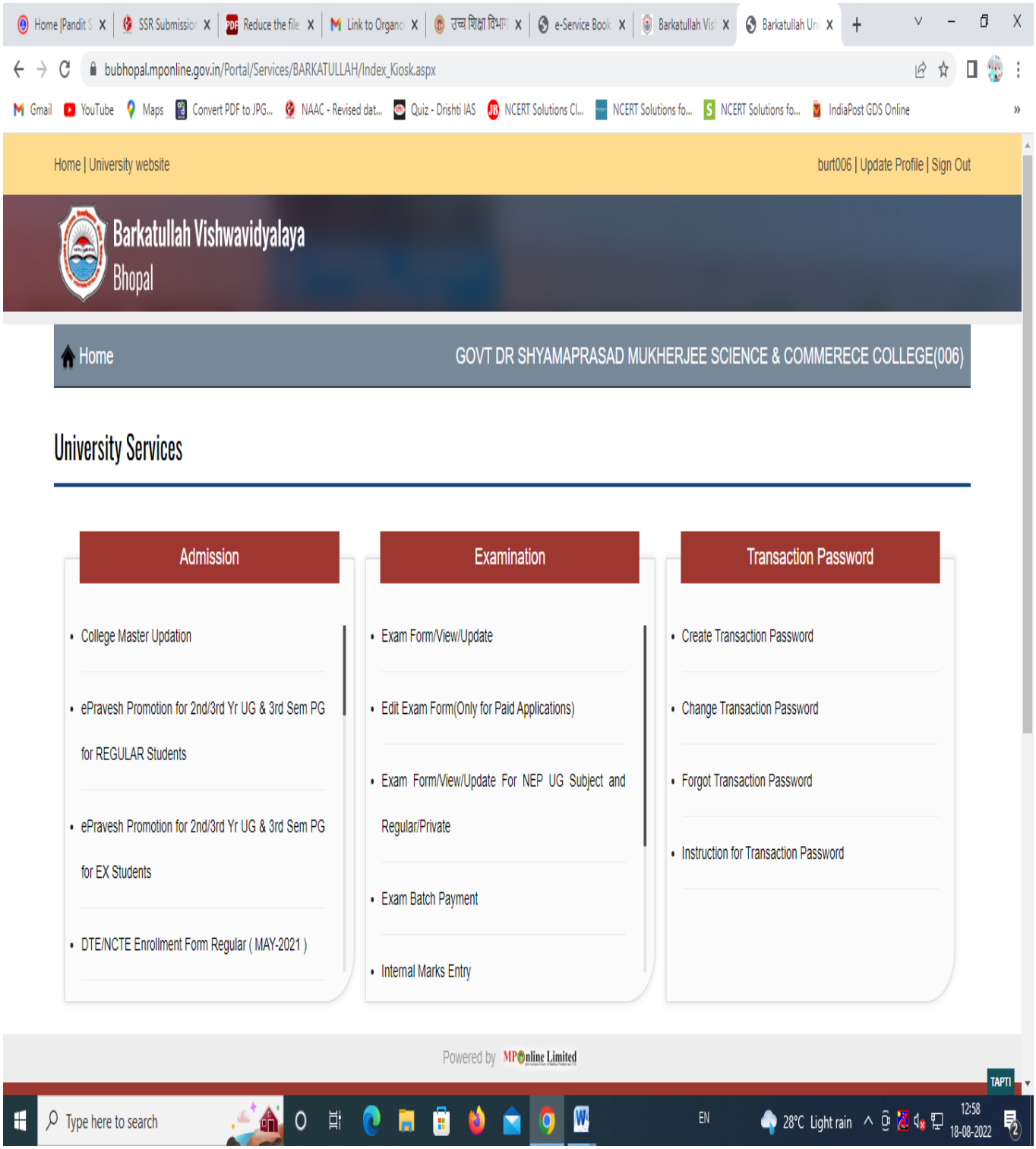

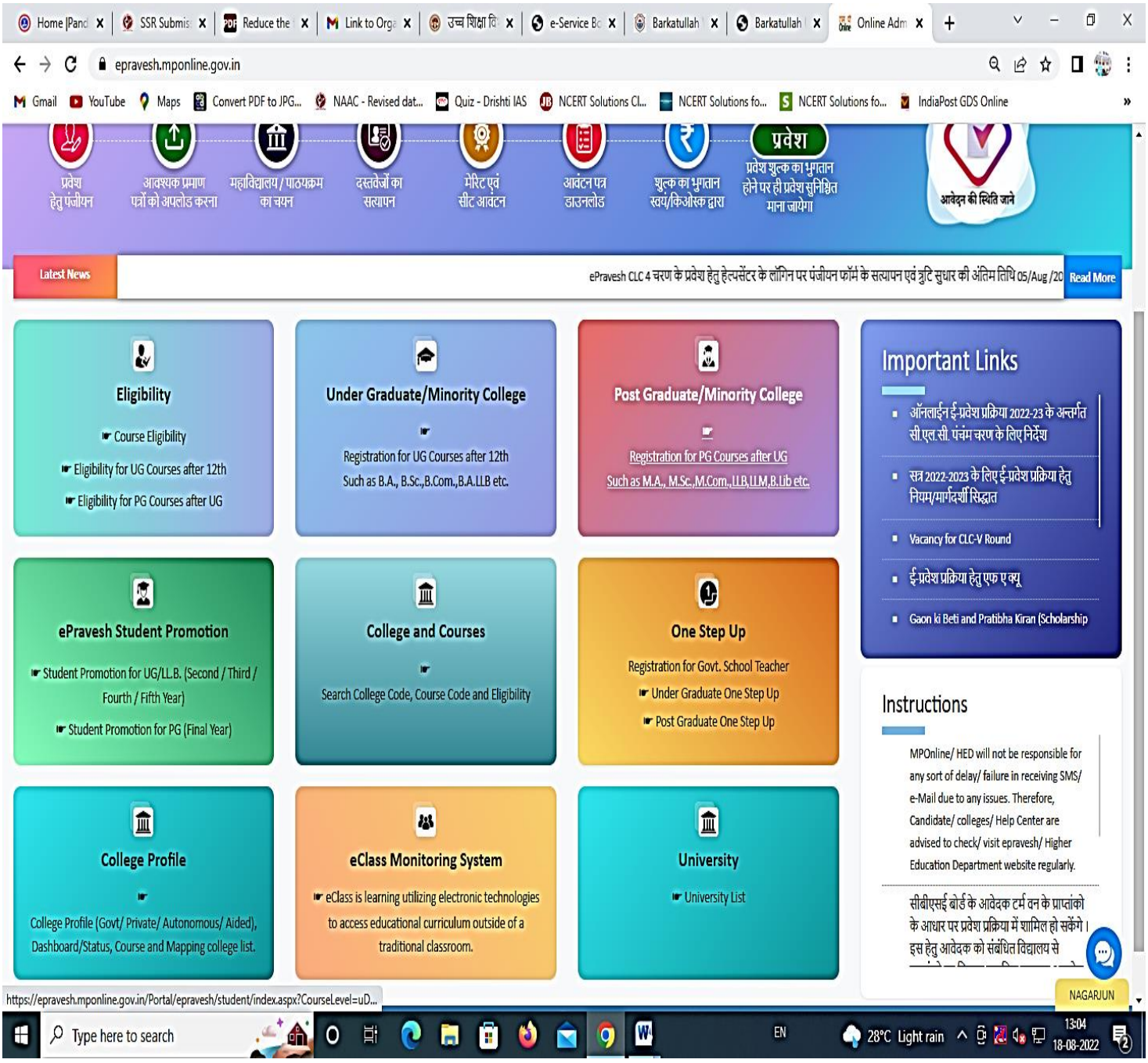
Home |Pand
SSR Submis
Reduce the
Link to Orga
उच्च शिक्षा वि
e-Service Bo
Barkatullah
Barkatullah
Online Adm
epravesh.mponline.gov.in
Gmail
YouTube
Maps
Convert PDF to JPG...
NAAC - Revised dat...
Quiz - Drishti IAS
NCERT Solutions Cl...
NCERT Solutions fo...
NCERT Solutions fo...
IndiaPost GDS Online
प्रवेश हेतु पंजीयन
आवश्यक प्रमाण पत्रों को अपलोड करना
महाविद्यालय / पाठ्यक्रम का चयन
दस्तावेजों का सत्यापन
मेरिट एवं सीट आवंटन
आवंटन पत्र डाउनलोड
शुल्क का भुगतान स्वयं/किओस्क द्वारा
प्रवेश
प्रवेश शुल्क का भुगतान होने पर ही प्रवेश सुनिश्चित माना जायेगा
आवेदन की स्थिति जाने
Latest News
ePravesh CLC 4 चरण के प्रवेश हेतु हेल्पसेंटर के लॉगिन पर पंजीयन फॉर्म के सत्यापन एवं त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 05/Aug /20
Read More
Eligibility
Course Eligibility
Eligibility for UG Courses after 12th
Eligibility for PG Courses after UG
Under Graduate/Minority College
Registration for UG Courses after 12th
Such as B.A., B.Sc.,B.Com.,B.A.LLB etc.
Post Graduate/Minority College
Registration for PG Courses after UG
Such as M.A., M.Sc.,M.Com.,LLB,LLM,B.Lib etc.
Important Links
ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया 2022-23 के अन्तर्गत सी.एल.सी. पंचम चरण के लिए निर्देश
सत्र 2022-2023 के लिए ई-प्रवेश प्रक्रिया हेतु नियम/मार्गदर्शी सिद्धात
Vacancy for CLC-V Round
ई-प्रवेश प्रक्रिया हेतु एफ ए क्यू
Gaon ki Beti and Pratibha Kiran (Scholarship
ePravesh Student Promotion
Student Promotion for UG/LL.B. (Second / Third / Fourth / Fifth Year)
Student Promotion for PG (Final Year)
College and Courses
Search College Code, Course Code and Eligibility
One Step Up
Registration for Govt. School Teacher
Under Graduate One Step Up
Post Graduate One Step Up
Instructions
MPOnline/ HED will not be responsible for any sort of delay/ failure in receiving SMS/ e-Mail due to any issues. Therefore, Candidate/ colleges/ Help Center are advised to check/ visit epravesh/ Higher Education Department website regularly.
सीबीएसई बोर्ड के आवेदक टर्म वन के प्राप्तांको के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक को संबंधित विद्यालय से
College Profile
College Profile (Govt/ Private/ Autonomous/ Aided), Dashboard/Status, Course and Mapping college list.
eClass Monitoring System
eClass is learning utilizing electronic technologies to access educational curriculum outside of a traditional classroom.
University
University List
https://epravesh.mponline.gov.in/Portal/epravesh/student/index.aspx?CourseLevel=uD...
NAGARJUN
Type here to search
EN
28°C Light rain
13:04
18-08-2022

Financial MIS

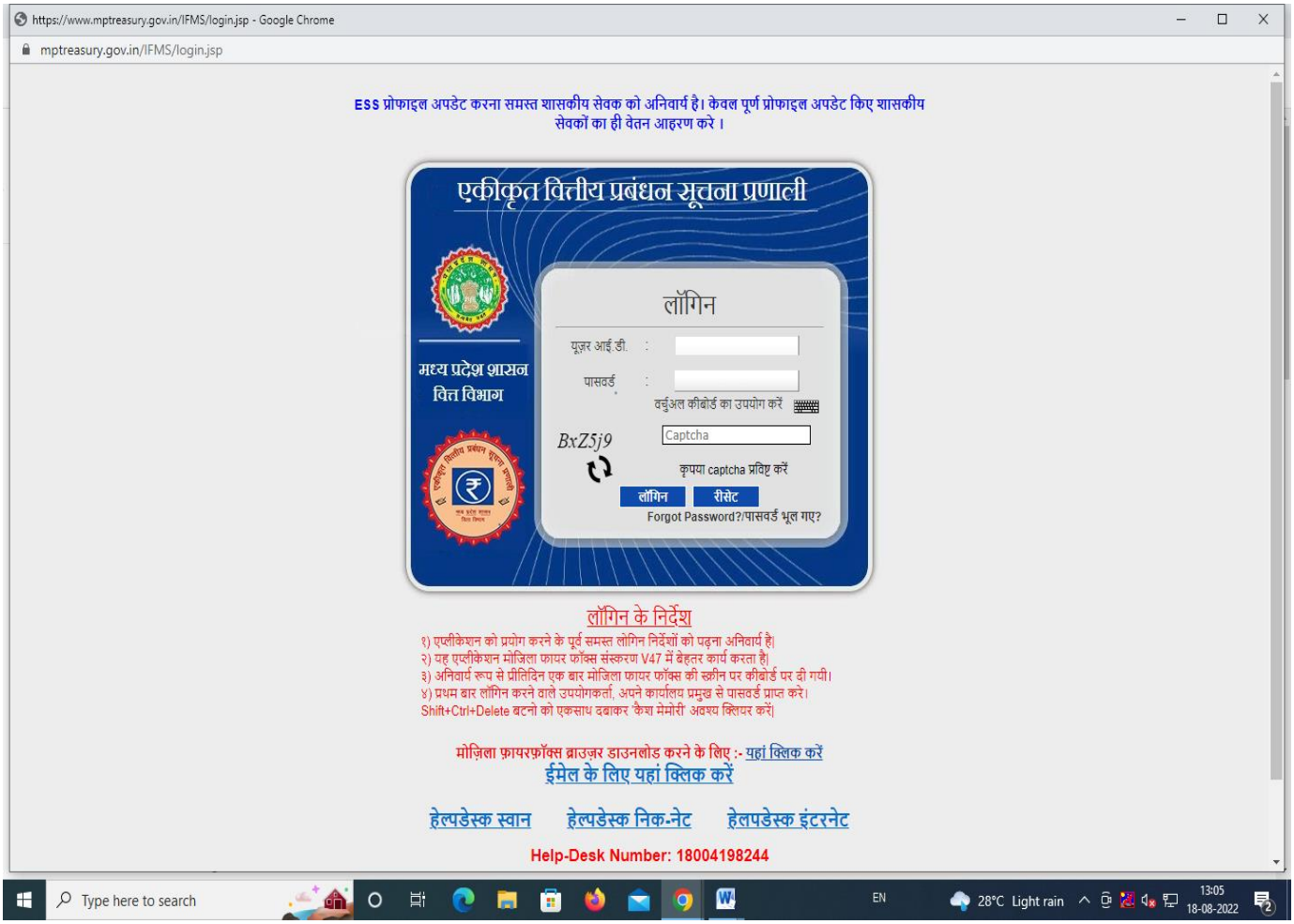

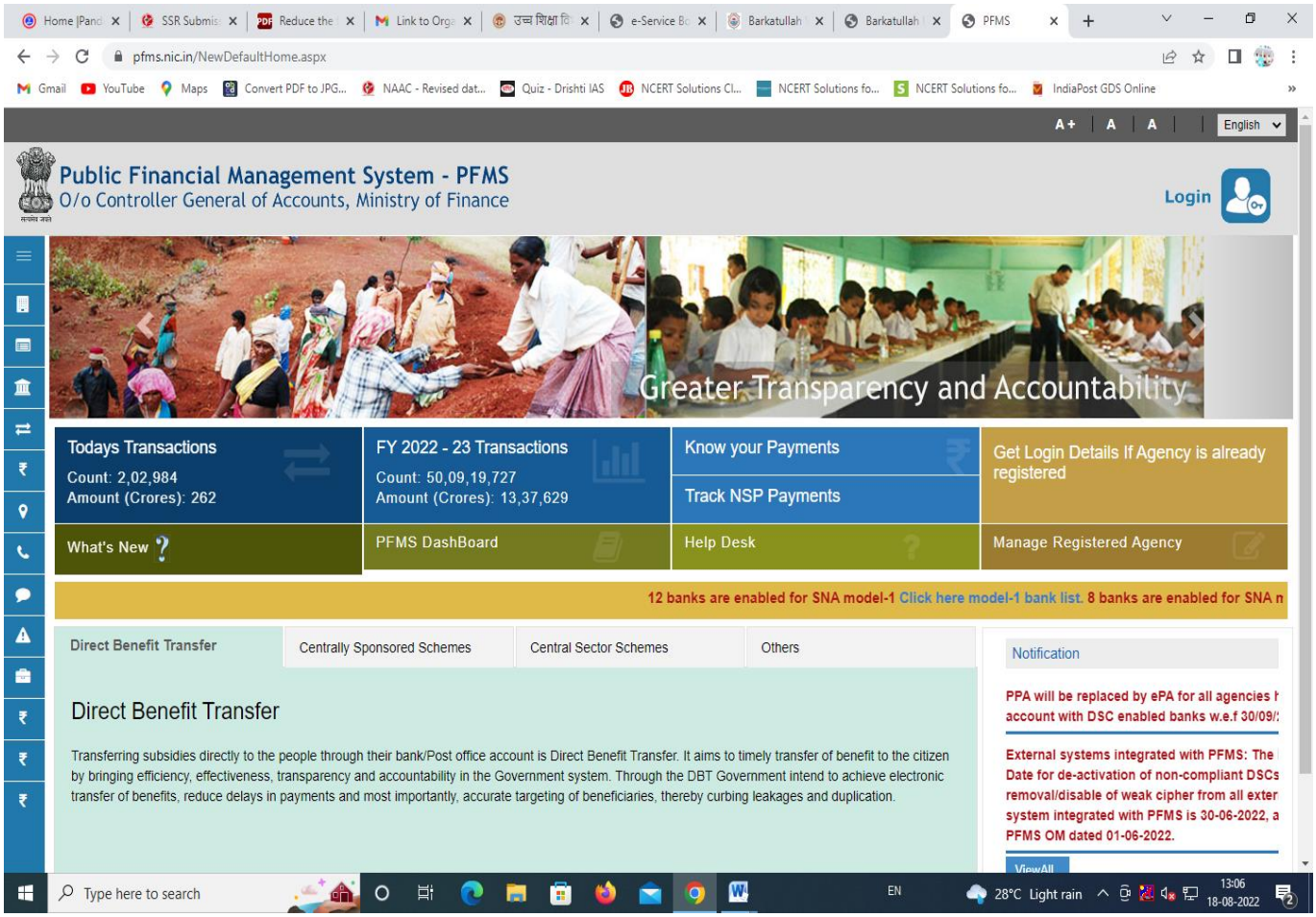

6.2 (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, 1990 (संशोधित)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015—भाद्र 5, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 1-176-2011-अड़तीस-1 भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ग क) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26.12.1984 द्वारा यथाविर्निदिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;"।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432] भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2018—श्रावण 10, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2018

एफ 73-01-2012-अड़तीस-3.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "अथवा पदोन्नति" का लोप किया जाए.
2. नियम 29 में, उप-नियम (1) में, अंक एवं शब्द "60 वर्ष", के स्थान पर अंक एवं शब्द "62 वर्ष" स्थापित किया जाए.
3. अनुसूची-एक में, नोट-2 में, शब्द "अथवा पदोन्नति" का लोप किया जाए.
4. यह अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2018 से लागू होगी.

F. 73-01-2012-XXXVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15-C of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 5, in sub-rule (1), in clause (c), the words "of by promotion" shall be omitted.
2. In rule 29, in sub-rule (1), for the figure and word "60 years", the figure and word "62 years" shall be substituted.
3. In Schedule-I, in Note-2, the words "or by promotion" shall be omitted.
4. This notification shall come into force from 31st July 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव.

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक: 28/07/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:-मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015

राज्य शासन एतद् द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक 11208-3209-ग्यारह-अ, दिनांक 26 अगस्त, 1974 से मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता जिल्द-2 के विद्यमान परिशिष्ट-5 में प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेश, निर्देश/नियम निष्प्रभावी करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार "मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015" तत्काल प्रभाव से जारी कर लागू करता है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

GOVERNMENT DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE SCIENCE & COMMERCE COLLEGE
Sector-H, Rajharsh Colony, Kolar, Bhopal (M.P.)- 462042
Affiliated By Barkatullah University Bhopal
Contact No: - 0755-2551837, Email-ID: - hegbsccbho@mp.gov.in
Website: - http://gscbhopal.in

Janbhagidari Committee

- Shri Avinash Lavania (Collector) - Chairman
- Dr. Sudha Baisa (Principal) - Secretary
- Smt. Pratima Singh - Local Body
- Shri Shyam Bansal - Industrialist
- Shri Prem Shankar Shukla - Local Representative
- Dr. Deeraj Shukla - Donor
- Smt. Mamta Rai - Farmer
- Smt. Sangeeta Thakur - Representative of Poshak Shala
- Shri Narmada Prasad Rajput - Guardian
- Shri Sandeep Singh - Guardian
- Ku. Mandakini Mishra - Ex Student
- Shri Pawan Shrivas - Ex Student

Principal
Govt. Dr. Shyama Prasad
Mukherjee Science & Comm
P.G. College BHOPAL (M.P.)

Janbhagidari Rules

शासकीय महाविद्यालयों में
जनभागीदारी का प्रारंभ एवं विकास

मध्यप्रदेश में राज्य शासन ने 30 सितम्बर 1996 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर जनभागीदारी समितियों का प्रारंभ इस प्रकार किया।

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471) भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 1996 - आश्विन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1996

क्र. एफ-73-6-96-सी-3-36-शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

(क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके स्थानीय प्रबंधन को एक समिति को सौंपा जाएगा, यह समिति ''मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973'' के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी।

(ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वेच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाएं या बढ़ाए और कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करें, इस संसाधनों का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए कर सकेगी, समिति जन सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक पर्यावरण बनाने में सहायक होगी, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं, उनकी प्रबंध समिति को अकादमिक मामलों में भी स्वायतता होगी, अर्थात् ऐसी समितियां स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेंगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगी, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की नई पद्धतियों का विकास करेंगीं।

(ग) समिति के कार्य कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा, यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी,

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जनवरी 2018—पौष 13, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना (संशोधन)

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2018

शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के नियम में संशोधन

क्र.-एफ-24-1-2011-अड़तीस-2.—असाधारण राजपत्र शासन अधिनियम अधिसूचना क्रमांक 471, दिनांक 30 सितम्बर 1996 यथा संशोधित क्रमांक 80 दिनांक 20 फरवरी 2015 में शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के नियम की कंडिका ग एवं छ में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

कंडिका "ग" में "गणमान्य नागरिक जो न्यूनतम स्नातक उपाधि प्राप्त हो तथा कम से कम एक लाख रुपये महाविद्यालय को दान के रूप में दिया हो, नियुक्त किया जायेगा" को विलोपित किया जाता है.

कंडिका "छ" के क्रमांक 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है. सचिव, वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते समय क्रमांक 1 तथा 2 में वर्णित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत भण्डार क्रय नियमों का पालन करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव.

शासकीय विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेनज़ीर, जहाँगीराबाद, भोपाल

विषयः– जनभागीदारी मद से सत्र 2017–18 में उच्च कुशल कर्मचारी, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अतिथि विद्वानों के चयन के अनुमोदनार्थ।

लेख है कि सत्र 2017–18 में जनभागीदारी मद से स्ववित्तिय पाठ्यक्रमों के लिए अतिथि विद्वानों, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं उच्च कुशल कर्मचारी की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, तथा निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन के उपरान्त दिनांक 05/09/2107 तक सभी अपने कार्य पर उपस्थित हो चुके हैं। कृपया अवगत होना चाहें। चयन प्रक्रिया में विषय विशेषज्ञों के मानदेय एवं स्टेशनरी पर रू 3000/– का व्यय हुआ है जिसकी कार्योपरांत स्वीकृति देना चाहें।

उच्च कुशल कर्मचारी (संविदा)

1. कु. अर्चना पन्सोरिया
2. कपिल कुमार तिवारी
3. कु. रूचिका शर्मा
4. बृजेश कुमार धाकड़

प्रयोगशाला तकनीशियन (C.S.)

1. नितिन यादव

प्रयोगशाला तकनीशियन (CA)

1. रीतेश गुप्ता

अतिथि विद्वान

1. कु. नेहा शर्मा **(बॉयोटेक्नोलॉजी)**
2. श्रीमती विभा श्रीवास्तव **(C.S.)**
3. रिचा शर्मा **(CA)**
4. ~~~~~

कृपया उपर्युक्त का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करने हेतु नस्ती अध्यक्ष जनभागीदारी समिति को प्रेषित करना चाहें।

06.09.17

डॉ. आशा वर्मा
समन्वयक जनभागीदारी समिति

प्राचार्य

मा. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनार्थ

रामेश्वर शर्मा
विधायक हुजूर

XXX-Part.--21

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक मो.हौ.उ./ ६०३३/९७

यह प्रमाणित किया जाता है कि शासकीय विज्ञान एवं कृषि महाविद्यालय क्षेत्रीय स्थानीय प्रबंधन समिति जो ओबाता, तहसील इंदौर, जिला ओबाता में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) के अधीन 1.8.97 को पंजीयित की गई है।

दिनांक १८ माह अगस्त सन् १९९७

(शरद [illegible])
समितियों के रजिस्ट्रार

CA-BJ—PS/25—8-1-86—30,000.